

प्रधान कार्यालय, उ० प्र० जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक: १० / बैंकिंग / 2314-0004 / 19-20

दिनांक: 24 / 04 / 2019

ई-विनियोजन विज्ञप्ति

अधोस्ताक्षरी द्वारा उ० प्र० जल निगम की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक वर्ष हेतु एफ०डी०आर० के रूप में जमा किये जाने हेतु निम्नानुसार ई-विनियोजन ऑफर दि० 27.04.2019 को सायं 02.00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं:-

क्रम	कार्य का नाम	विनियोजन की धनराशि रू० करोड में	विनियोजन की अवधि	ई-प्रकाशन की तिथि	ऑफर खोले जाने की तिथि/समय
1	जी.पी.एफ. की धनराशि लगभग रू० 282.00 करोड गिन्न-2 अवधि की का राष्ट्रीयकृत बैंकों में एफ०डी०आर० के रूप में विनियोजन	282.00 करोड	एक वर्ष	22.04.2019	27.04.2019 03:30 PM

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ:-

1. विनियोजन सूचना के आन-लाइन प्रकाशन की तिथि - 22.04.2019 समय 11:00AM
2. बैंकों द्वारा ऑनलाइन ऑफर प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि - 22.04.2019 समय 12:00 PM
3. बैंकों द्वारा ऑनलाइन ऑफर प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि - 27.04.2019 समय 02:00 PM
4. ऑफर खोले जाने की तिथि - 27.04.2019 समय 03:30 PM

सामान्य शर्तें:-

1. विनियोजन विज्ञप्ति जल निगम वेब-साईट <http://jn.upsdc.gov.in> के टेण्डर सेक्शन पर देखी जा सकती है।
2. इच्छुक बैंक उपरोक्त वेबसाईट को देखते रहें ताकि ऑफर के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त कर सकें।
3. विनियोजन हेतु मात्र लखनऊ स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके ब्याज दर के प्रस्ताव ई-विनियोजन ऑफर एवं बन्द लिफाफों में दिये गये ऑफर भी स्वीकार्य होंगे।
4. निगम द्वारा उपरोक्त धनराशि के विनियोजन हेतु बैंकों द्वारा दी गयी ऑनलाइन ब्याज दरें बल्क डिपॉजिट(सम्पूर्ण धनराशि) हेतु ही मान्य/स्वीकार्य होंगी तथा इससे इतर दी गयी ब्याज दरें एवं सशर्त ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. विनियोजित की जाने वाली धनराशि तत्समय घट/बढ़ सकती है तथा घटी/बढ़ी राशि हेतु भी उच्चतम दरें ही मान्य होंगी।
6. विनियोजन की अवधि में परिवर्तन उच्चतम दर की दशा में मान्य होगा।
7. कई बैंकों की उच्चतम दरें एक सागान होने पर विनियोजन की धनराशि बैंकों के मध्य विभाजित करके भी विनियोजित की जा सकती है।
8. बैंक सुनिश्चित हो लें कि विज्ञप्ति में वर्णित की गयी समस्त विनियोजन की जाने वाली धनराशि उच्चतम ब्याज दर पर लेने हेतु सहमत हैं।
9. बैंको द्वारा ऑफर की गयी ब्याज दरें आगामी तीन दिनों तक प्रभावी रहेंगी। इस सहमति के अभाव में ऑफर निरस्त किया जा सकता है।
11. बैंक द्वारा दिये गये ऑफर में सम्बन्धित बैंक/शाखा का नाम, कोड, IFS Code, खाता संख्या(खाते के विवरण सहित) शाखा प्रबन्धक का दूरभाष संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जायेगा। जिससे विनियोजित की जाने वाली धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे बैंक के खाते में अन्तर्गत की जा सके।

12. ऑफर स्वीकार होने के उपरान्त किसी बैंक द्वारा धनराशि लेने से मना करने पर सम्बन्धित बैंक को काली-सूची में डालते हुए विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
13. ऑफर बिना किसी कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार वित्त विश्लेषक के पास सुरक्षित रहेगा। ऑफर खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में खोला जायेगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

(अनिल कुमार श्रीवारत्तव)
प्रबन्ध निदेशक

पृ० सं०: / उक्त

दिनांक:

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव(प्रबंध निदेशक/ वित्त निदेशक), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियंता(निधि), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियंता(ई.डी.पी. सेल), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को जल निगम की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. सहायक लेखाधिकारी(बजट/ बैंकिंग/ जी.पी.एफ.), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

(नीलम सिंह)
वित्त विश्लेषक